(वाद सं0–4325/4/3/2022)

21.03.2023

परिवादी, सोनी देवी, अपने पति, राजेन्द्र मंडल के साथ उपस्थित है।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, सोनी देवी, की 16 वर्षीया नवालिंग पुत्री, रश्मि कुमारी, का बिटू कुमार व अन्य अभियुक्तो के द्वारा अपहरण से संबंधित रजौन थाना कांड सं0–229/2022 को संस्थित किये जाने के दो माह बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा अपहृता, रश्मि कुमारी को बरामद न किये जाने तथा अपहृता पुत्री को खोजने हेतु पुलिस द्वारा खर्चे के रूप में 25 हजार रूपये की मांग किये जाने से संबंधित है।

उपरोक्त पर **पुलिस अधीक्षक, बाँका** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **पुलिस अधीक्षक, बाँका** के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित **अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बाँका** के प्रतिवेदनानुसार परिवादी, सोनी देवी के आवेदन पर बिटू कुमार उसकी माता रेणु देवी, घन्नजय मंडल, टुन्नु मंडल, बसंती देवी, एवं मंजू उर्फ शांति देवी के विरूद्ध भा0दं0स0 की घाराओं 120बी/366ए/376/504/506 व 03 पॉक्सो अधिनियम के अन्तर्गत रजौन थाना कांड सं0–229/22, दिनांक–01.06.2022 संस्थित किया गया है। अनुसंधान में यह तथ्य प्रकास में आया है कि दिनांक–14.04.2022 को 09:00 बजे सुबह परिवादी की पुत्री, रश्मि कुमारी बिना कुछ बताये अपने घर से निकल गई । जब काफी खोजबीन के बाद उसकी माता (परिवादी) को जब अपनी पुत्री नहीं मिली तो बाद में उसे पता चला की

बिट्टु कुमार उसकी पुत्री को शादी के नियत से भगाकर मुम्बई लें जा रहा था। लेकिन रास्ते में कुर्ला रेलवे पुलिस द्वारा उन दोनो को पकड़कर बाल कल्याण समिति, मुम्बई को सुपुर्द कर दिया गया। बाद में बिट्टु कुमार को उसके पिता, दिलीप मंडल द्वारा बाल कल्याण समिति, मुम्बई से लेकर अपने घर ले आया गया। अब तक के अनुसंधान में बिट्टु कुमार के विरूद्ध उनकी संलिप्तता को सत्य पाया गया है जबकि रेणु देवी घन्नजय मंडल, टुन्नु मंडल, बसंती देवी , मंजु उर्फ शांति देवी की संलिप्तता की पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस द्वारा अपहृता रश्मि कुमारी को बाल कल्याण समिति, मुम्बई से लाकर उसका द0प्र0स0 की घारा–164 के अन्तर्गत न्यायालय में बयान लिपिबद्ध कराया गया है। कांड वर्तमान में अन्वेषणान्तर्गत है।

पुलिस प्रतिवेदन से यह भी प्रतीत होता है कि समरूप मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली में वाद सं0–2461/4/3/2022 के रूप में भी चला था, जिसमे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के द्वारा दिनांक–10.06.2022 को निम्नलिखित आदेश पारित कर उसका निष्पादन कर दिया गयाः– **"Instant complaint relates to allegation that minor daughter of the complainant has been enticed away by her immediate neighbor on 16-04-2022 and since then she is untraceable. She is apprehending that she might be raped or murdered by that person. It is further alleged that she had given complaint at local police station but no action was taken on the same. This complaint be transmitted to the Superintendent of Police, District-Banka, Bihar for taking such action as deemed appropriate, within a period of 8 weeks, by associating the complainant/ victim and to inform her of the action taken in the matter."**

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गई। अपने प्रत्युत्तर व आज राज्य आयोग के समक्ष उपस्थित होकर परिवादी का कथन है कि उसकी पुत्री अभी उसके पास है तथा सकुशल है तथा उसका यह कथन है कि मामला न्यायालय में लंबित हे।

अब जबकि परिवादी की अपहृता पुत्री, रश्मी कुमारी, बरामद हो चुकी है तथा मामला अन्वेषणान्तर्गत है तथा समरूप मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के द्वारा निष्पादित किया जा चुका है तो ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले में उक्त के आलोक में राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

वैसे परिवादी के पुलिस के अनुसंधान से असहमत रहने की स्थिति में अगर वह चाहे तो संबंधित न्यायालय से विधिनुसार वांछित अनुतोष प्राप्त करने हेतु याचना कर सकते है।

तद्नुसार, आज पारित आदेश की प्रति के साथ परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक